कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास),
जिला-धमतरी (छ0ग0)

E-mail- tribal.dmt@gmail.com Phone No- 07722-232142, Fax no.- 07722-232142

क्रमांक/2478 /आदि0वि0/ अ0सं0छात्र0/न0क0–01/2018–19 धमतरी, दिनांक 31/07/2018

प्रति,

उप संचालक,
जनसंपर्क
जिला–धमतरी (छ0ग0)

विषय :– अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के छात्र/छात्राओं को प्री. मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति वर्ष 2018–19,

संदर्भ :– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, (छ0ग0) के पत्रक0/अ0सं0छा0/प्री.मै./न.क.–01/2018–19/4568/4570/4572/4575/नया रायपुर, दिनांक 30.07.2018

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्री. मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक/मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना है, जिसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है।

"सूचना" का प्रारूप संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि जिला स्तरीय समस्त समाचार पत्रों में 03–03 दिवस के अंतराल में प्रकाशित करवाने का कृपया कष्ट करेंगे।

संलग्नः– सूचना का प्रारूप (प्रेस विज्ञप्ति)।

सहायक आयुक्त
वास्ते, कलेक्टर,
जिला–धमतरी (छ.ग.)

पृ0क्रमांक/2479/आदि0वि0/ अ0सं0छात्र0/न0क0–01/2018–19 धमतरी, दिनांक 31/7/2018

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) को संदर्भित पत्र के तहत सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. निज सहायक, कलेक्टर, जिला–धमतरी को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ। कृपया अपने स्तर से समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं को पृथक से पत्र जारी कर सूचित करने का कष्ट करेंगे।
5. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी, को सूचनार्थ। कृपया आप अपने विकासखण्ड अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को सूचित करना सुनिश्चित करे।
6. सर्व संकुल समन्वयक, विकासखण्ड–धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी, को सूचनार्थ। कृपया आप अपने विकासखण्ड अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को सूचित करना सुनिश्चित करे।
7. सर्व संस्था प्रमुख...जिला–धमतरी (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आप अपने स्तर से समय सीमा के भीतर संपूर्ण कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

सहायक आयुक्त
वास्ते, कलेक्टर,
जिला–धमतरी (छ.ग.)

D/ D.R.SAHU/2018/Minority 2018 /Letter...(DEV),

Scanned by CamScanner

//प्रेस विज्ञप्ति//

–:: अल्पसंख्यक समुदाय हेतु प्री मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक/मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति वर्ष 2018–19 ::–

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना (प्री. मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक/मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु सूचना पत्र। विगत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक पाने वाले एवं अभिभावको के वार्षिक आय प्री मैट्रिक हेतु रूपये 1.00 लाख, पोस्ट मैट्रिक हेतु रूपये 2.00 लाख एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति हेतु रूपये 2.50 लाख तक वाले अल्प संख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के प्रतिभावान विद्यार्थियों से भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की वेबसाईट **www.scholarships.gov.in** में प्री. मैट्रिक छात्रवृत्ति/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति वर्ष 2018–19 हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इसकी प्रकिया वेबसाईट के **Home Page** पर **FAQs** तथा **Guidelines** में दिया गया है। छ0ग0 राज्य हेतु समुदायवार लक्ष्य एवं तिथि निम्नानुसार है:–

समुदायवार लक्ष्य :–

क.	योजना का नाम	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	6607	6293	898	904	789	0	15491
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1101	1049	150	151	132	0	2583
3	मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	132	126	18	18	16	0	310
	योग :–	7840	7468	1066	1073	937	0	18384

उक्त तीनों योजनाओं के लिए निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है:–

Sl. NO.	Activies	Opening Date	Closing Date
1	Submission of Online application For Fresh Scholarship by Students.	23th July 2018	30th September 2018
2	Submission of Online application For Renwal Scholarship by Students.		

महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. विगत वर्ष की परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होना आवश्यक है।
3. आवेदक का आधार नंबर होना चाहिए।
4. अभिभावक का समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय प्री मैट्रिक हेतु रूपये 1.00 लाख/ पोस्ट मैट्रिक हेतु रूपये 2.00 लाख एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति हेतु रूपये 2.50 लाख से अधिक नही होना चाहिए।
5. आवेदक का स्वयं का बैंक खाता (एकाउंट) नम्बर होना आवश्यक है।

विशेषः–

आवेदक, ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व भारत सरकार के वेबसाईट **www.scholarships.gov.in** के **Home Page** पर **FAQs** तथा **Guidelines** में आवेदन करने हेतु दिये गये निर्देशों को आवश्यक रूप से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन पश्चात् ही आवेदन भरें।

सहायक आयुक्त
वास्ते, कलेक्टर,
जिला–धमतरी (छ.ग.)

D:\D.R.SAHU\2018\Minority 2018\Letter–(DEV).

प्राचार्य
शासकीय पालीटेक्नीक
धमतरी (छ. ग.)

Scanned by CamScanner